कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
औरैया

पत्रांक 636 /अधि0/स0सु0/2020

दिनांक :– 24.09.2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–112 के अर्न्तगत वाहनो की गति सीमा का उल्लेख किया गया है जिसके अर्न्तगत उपरोक्त धारा की उपधारा–2 मे गति निबंधन के संबंध में राज्य सरकारो को नियम बनाने के अधिकार दिए गए है। उत्तर प्रदेश मोटरवाहन नियमावली, 1998 के नियम–178 मे मोटरयान के प्रयोग एवं गति पर निबंधन के प्रावधान किए गए है जिसके अर्न्तगत **"शहरी निकायो को छोड़कर अन्य क्षेत्रो में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र मे या किसी सड़क पर गति पर निबंधन या सामान्यता मोटरयानो या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गो के मोटरयानो के प्रयोग पर निबंधन या प्रतिषेध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है, ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट मे और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहो से वे लागू होते है, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किए जायेगे"।**

कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्रांक 1289स0सु0/2020–44 स0सु0/2014–20 दिनांक 02.09.2020 के क्रम में पूर्व मे जारी अधिसूचना के क्रमांक संख्या 14 मे विभिन्न श्रेणी के वाहनो के लिए वर्णित गति निबंधन की सीमा को अधिक्रमित करते हुए आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर संचालित होने वाले विभिन्न श्रेणी के वाहनो के लिए निम्नलिखित गति निबंधित की जाती है :–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गई गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 07 सीटो तक वाले यान	चलक सहित 08 से 12 सीटो तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तम्भ 4.5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
14	आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे	आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस वे 133 किमी0 से 137 तक	80किमी0	100किमी0	80किमी0	80किमी0

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन)
औरैया।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3. जिलाधिकारी, औरैया।
4. पुलिस अधीक्षक, औरैया।
5. निदेशक छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. अपर परिवहन आयुक्त,(सड़क सुरक्षा), लखनऊ।
7. अपर परिवहन आयुक्त,(आई0टी), लखनऊ।
8. उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र), कानपुर।
9. संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन), कानपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, प्रांतीय/निर्माण खण्ड, निर्माण खण्ड–1 लोक निर्माण विभाग, औरैया।
11. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, औरैया/कानुपर।
12. जिला सूचना अधिकारी, औरैया को इस आशय से कि समस्त दैनिक समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशित कराने की कृपा करें।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन)
औरैया।